अपील संख्या 2017/00273 (302/2017) 225 आरटीएक्ट

1. मेघराज } पुत्रगण रामचन्द्र जाति स्वामी निवासी फतहगढ बास
2. शिवभगवान } गोदारा तहसील व जिला हनुमानगढ
3. साहबराम पुत्र रामचन्द जाति स्वामी निवासी ढाणी चक 30 एन.डी.आर. अराईयॉवाली तहसील व जिला हनुमागढ।
4. सन्दीप कुमार पुत्र श्री हंसराम जाति स्वामी निवासी 32 एस.एस.डब्ल्यू (फतेहगढ) तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति स्वामी निवासी 32 एस.एस.डब्ल्यू. फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. पूजा पुत्री दयाराम नाबालिग उम्र 10 वर्ष } जरिये माता व कुदरती वली मन्जूदेवी
7. कृष पुत्र दयाराम नाबलिग उम्र 8 वर्ष } पत्नी दयाराम जाति स्वामी निवासी 32 एस. एस. डबल्यू. फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलांटस

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र मघदास जाति स्वामी निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. रामकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. ..... सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला हनुमानगढ।
3. प्रबन्धक एसबीआई शाखा डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. प्रबन्धक ओ.बी.सी. शाखा हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. प्रबन्धक एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा खिलेरीबास फतेहगढ तह0 व जिला हनुमानगढ
6. प्रबन्धक एसबीआई एडीबी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध आदेश दिनांक 15.05.2017 व संशोधित आदेश 20.06.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ। प्रकरण संख्या 285/2013 बअनवान नत्थूराम बनाम मेघराज आदि

उपस्थितः–
श्री युगल किशोर, चानणराम वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–27.05.2019

1. रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर चक 30 एन.डी.आर. के प. नं. 101/345 किला नं. 15, 16, 25 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण एक एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

गट्ठा रास्ता मन्जूर करवाने के सम्बन्ध में पेश किया तत्पचात् शिविर प्रभारी अराईयॉवाली के समक्ष दिनांक 15.05.2017 को इसी चक के पत्थर नं. 101/345 के किला नं. 19 व 22 में से रासता स्वीकृत करने का आवेदन प्रस्तुत किया, अधीनस्थ न्यायालय ने शिविर में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने मु. नं. 1 के किला नं. 1 ता 12 में पहूंचने के लिए रास्ता चाहा गया था। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे परन्तु उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। पत्रावली जवाब हेतु चल रही थी। उसी दौरान पत्रावली राजस्व अभियान में बिना आधार के ले जाकर रास्ता स्वीकृत किया है। किला नं. 22 के खातेदार कालूराम को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि रास्ता किला नं. 19 व 22 में स्वीकृत किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र में किला नं. 15, 16, 25 में से रास्ता स्वीकृति हेतु आवेदन दिया था एवं सन् 2006 में भी उक्त रास्ता स्वीकृति का आवेदन प्रस्तुत किया था जो सन 2012 तक चला और अदम पैरवी में खारिज हो गया है। उस प्रकरण का नम्बर 34/2006 था एवं प्रकरण का शीर्षक आत्माराम बनाम मेघराज वगैरह था। रेस्पोडेण्ट को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था । पत्रावली जवाब के लिए चल रही थी और जवाब बंद किये बिना ही सीधे ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है इसलिए अपील भीतर मियाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस हेतु चल रही थी। बहस हेतु छः अवसर दिये गये थे। कालू को यदि उसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने बाबत आपत्ति है तो वह न्यायालय में अपील कर सकता था परन्तु उसके द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। पूर्व में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ था वह उपनिवेशन अधिनियम की शर्त संख्या 8 (2) के तहत पेश हुआ था जो 1955 से पूर्व की खातेदारी भूमि के लिए प्रभावी नहीं था। परन्तु 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान सभी भूमियों पे लागू होते हैं। 2006 में जो प्रकरण रास्ता का निस्तारित हुआ है वह गुणागवुण पर निर्णित नहीं हुआ है इसलिए नया प्रार्थना–पत्र नये प्रावधानानुसार प्रस्तुत किया गया है, जो विधी सम्मत होने पर राजस्व अभियान में तहसील रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों, पत्रावली एवं बहस में आये तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एवं अपील का निस्तारण गुणागवुंण पार श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी में जाने के लिए रास्ते का प्रार्थना–पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 17.09.2013

अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को पेश किया, जिस पर अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर जवाब हेतु पेशी निर्धारित की गई। अपीलान्ट्स को जवाब हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने काफी अवसर दिये, एवं तहसीलदार द्वारा प्रकरण में रास्ते के संबंध में मौके की रिपार्ट भी प्रेषित की गई है जो शामिल मिसल है। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु रखी गई। बहस के लिए भी काफी असर प्रदान किये गये। उसके बाद प्रकरण राजस्व अभियान में प्रस्तुत हुआ। राजस्व अथ्भयान में प्रकरण के संबंध में मौका की स्थिति के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया है। हालांकि प्रकरण में किला नं. 15, 16, 25 में प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते में अप्रार्थीगण के पूर्वजों की समाधी बनी होने के कारण उस स्थान से रास्ता नहीं दिया जा सकता था। पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार किला नं. 19 व 22 की पूर्वी सीमा पर रास्ता कायम किया जा सकता है। मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट रूप से प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता को अंकित किया गया है। यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 3 किला में रास्ता मांगा गया है जबकि 2 किला में अर्थात किला नं. 19 व 22 में रास्ता स्वीकृत करने की रिपार्ट ली गई है, जो मौका की स्थिति के अनुसार उचित प्रतीत होती है। जहां तक सुनवाई का प्रश्न है जवाब और बहस हेतु सन् 2014 से 2017 के बीच काफी अवसर अप्रार्थीगण को दिये जा चुके थे, फिर भी उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में अनावश्यक देरी की गई है, जिसका कोई आधार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकित नहीं है। इस रास्ते को प्रकरण की स्थिति के अनुसार स्वीकृत किया जाना आवश्यक था। अपीलाण्ट को पर्याप्त अवसर दिये गये थे, जिसमें वह अपना उज्र प्रस्तुत कर सकता था। अपीलाण्ट अपनी स्वयं की किला नं. 19 की भूमि में दिये गये रास्ते की संदर्भ में आपत्ति कर सकता है। किला नं. 22 में दिये गये रास्ते के संबंध में वह उज्र करने हेतु अधिकृत नहीं है। रेस्पो0 के प्रार्थना–पत्र पर रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पो0 की भूमि पर पंहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह रेस्पो0/प्रार्थी की भूमि पर आवागमन हेतू आवश्यक है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा अपील में जो आपत्तियों की गई हैं वो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एव विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 व संशोधित आदेश 20.06.2017 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/5/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official